

मध्य प्रदेश शासन

विमानन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ 9-16/2014/पैंतालीस

भोपाल, दिनांक 09 मार्च, 2015

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्यप्रदेश ।
2. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।
- ✓ 3. संचालक,
विमानन संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय:-एयरो स्पोर्टस गतिविधियों के संचालन हेतु प्रदेश की शासकीय हवाई पट्टियों के उपयोग की अनुमति देने संबंधी नीति।

शासकीय हवाई पट्टियों पर एयरो-स्पोर्टस का संचालन करने के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर मांग की जाती है। संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत ऐसे आवेदन पत्रों पर नीति के अभाव में निर्णय लेने में जिला प्रशासन को कठिनाई होती है।

2/ उपरोक्त कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए किसी आवेदक संस्था को शासकीय हवाई पट्टी पर एयरो स्पोर्टस की गतिविधि संचालित करने की अनुमति जारी करने के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

(अ) अगर किसी हवाई पट्टी पर कोई संस्था एयरो स्पोर्टस गतिविधि संचालित करना चाहे तो वह अपना आवेदन संचालक, विमानन को दे सकेगी। संचालक, विमानन संबंधित जिले के कलेक्टर, जहां हवाई पट्टी

स्थित है, से परामर्श करने के उपरांत आवश्यक अनुमति दे सकेंगे।
एयरो स्पोर्ट गतिविधियाँ निम्नानुसार हो सकती हैं:-

1. मायक्रोलाइट विमान,
2. पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग,
3. बेक पैक पैरामोटर,
4. स्काई डाइविंग,
5. पावर्ड पैराशूट,
6. पैरासेलिंग,
7. पैराग्लाइडिंग,
8. हॉट एयर बैलूनिंग,
9. रेडियो-नियंत्रित मॉडल विमान को उड़ाना,
10. कोई अन्य एयरो स्पोर्टस गतिविधि।

(ब) संचालक, विमानन प्रश्नाधीन हवाई पट्टी पर aero sports आयोजित करने के लिए अनुमति निम्न शर्तों पर दे सकेंगे :-

- (i) संस्था aero sports गतिविधि प्रारंभ करने से पूर्व महानिदेशक, नागरिक विमानन (DGCA) से ऐसी अनुमति, जो आवश्यक हो, लेंगे।
- (ii) हवाई पट्टियों पर प्रस्तावित aero sports संचालित करने के लिए अगर कोई अन्य विधिक अनुमति आवश्यक हो तो ऐसी अनुमति संबंधित सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने की जिम्मेदारी संबंधित संस्था की होगी।
- (iii) Aero sports में भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों के लिए संस्था डीजीसीए के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बीमा करायेगी।
- (iv) संबंधित संस्था को भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय द्वारा एयरो स्पोर्टस/ एडवेंचर टूरिजम (संशोधित दिनांक 02/01/2012 से प्रभावशील) के संबंध में जारी गाइडलाइन का भी पालन किया जाना होगा।

(v) संस्था को Aero sports गतिविधियों के लिए केवल हवाई पट्टी के उपयोग की अनुमति दी जावेगी। संस्था का यह दायित्व होगा कि वह हवाई पट्टी को उसी स्थिति में रखे, जो उसके द्वारा संचालित aero sports के पूर्व थी।

(vi) संस्था को अरनेस्ट मनी के रूप में रूपये 2.5 लाख (रूपये दो लाख पचास हजार) की संचालक, विमानन के नाम से जारी बैंक गारंटी (Bank guarantee) जमा करना होगी। हवाई पट्टी का उपयोग शर्तों के मान से किए जाने पर संस्था को यह Bank guarantee वापिस की जावेगी।

(vii) किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति में बिना कारण बताएं दी गई अनुमति को निरस्त किया जा सकेगा। ऐसी अनुमति निरस्त होने पर अगर संस्था को कोई वित्तीय क्षति होती है तो उसे राज्य शासन से कोई मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही जमा अरनेस्ट मनी भी राजसात की जा सकेगी।

(viii) उक्त शर्तों के अलावा संचालक, विमानन अन्य कोई शर्त, जो आवश्यक समझे, भी अनुमति जारी करते समय लागू कर सकेंगे।

3/- (अ) एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों का संचालन करने की अनुमति प्रथम आवे प्रथम पावे (First Come First Serve) के आधार पर दी जावेगी।

(ब) यदि किसी हवाई पट्टी पर एक से अधिक संस्थाएं aero sports का संचालन करना चाहे तो उन्हें ऐसी अनुमति दी जा सकेगी बशर्त सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना उचित हो।


4/- (अ) Aero sports संचालित करने के लिए संस्था को निम्न दरों पर राशि शासकीय कोष में जमा करनी होगी:-

| S.No. | Activity | Charges per month (Rs.) |
|-------|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Sky Diving | 25000 |
| 2. | Micro Light Flying | 5000 |
| 3. | Powered Hang Gliding | 5000 |
| 4. | Back Pack Para Motor | 5000 |
| 5. | Hot Air Balloning | 2500 |
| 6. | Para Sailing | 2500 |
| 7. | Para Gliding | 2500 |
| 8. | Radio Control Model Flying | 2500 |
| 9. | Powered Parachute | 2500 |
| 10. | Any other aero sports | 5000 |

संस्था द्वारा एक माह से कम अवधि के लिए अगर अनुमति ली जावेगी, तो भी उपरोक्त दरों के अनुसार ही राशि देय होगी।

(ब) सामान्यतः 3 माह से अधिक अवधि के लिए एक बार में अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई संस्था 3 माह की अवधि के बाद भी इन गतिविधियों को निरन्तर रखना चाहे तो उसे उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार पुनः आवेदन करने पर अनुमति दी जा सकेगी।

5/- उपरोक्त दरों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन वित्त विभाग की सहमति से विमानन विभाग के द्वारा किया जा सकेगा।



(इकबाल सिंह बैस)

प्रमुख सचिव


मध्य प्रदेश शासन, विमानन विभाग

पृ0क्रमांक एफ 9-16/2014/पैंतालीस

भोपाल, दिनांक ०९ मार्च, 2015

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल।


(जे.सी.भट्ट) 9-3-15

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, विमानन विभाग